TO BE PUBLISHED IN
THE STATES GOVERNMENT GAZETTE
IMMEDIATELY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 7th February, 2017

DIRECTION

No. 576/3/VVPAT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR//2017/Vol.I:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to a voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission of India has, vide its notification No. 576/3/EVM/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol-I/2017 dated 18th January, 2017, already specified under the said section 61A of the Representation of the People Act, 1951, all Assembly Constituencies of the State of Uttarakhand as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of voting machines at the poll to be taken for the current general elections;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the abovementioned proviso to rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby–

(i) specifies **3 Assembly Constituencies of Uttarakhand,** as specified in the Annexure hereto as the Constituencies in which a printer with a drop box shall be attached to every voting machine to be used for the giving and recording of votes at the current general election to the Uttarakhand Legislative Assembly;

(ii) approves the design of the printer with the drop box as developed by the Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, as the design for the printer which shall be attached to the said voting machines to be used for the giving and recording of votes in the above said Assembly Constituencies.

By Order,

(K.F.WILFRED)
PRINCIPAL SECRETARY

Uttarakhand (ECIL)				
S. No.	Name of Distrcit	S. No.	No. & Name of AC	Total number of PS
1	Dehradun	1	18-Dharmpur	194
2	Haridwar	2	26-BHEL-Ranipur	177
3	Udhamsingh Nagar	3	66-Rudrapur	182
TOTAL				**553**

राज्य सरकार के राजपत्र
में तत्काल प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांकः 7 फरवरी, 2017

निदेश

सं.576/3/वीवीपीएटी/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/2017/खण्ड-I:- यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किया जाए; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 18 जनवरी, 2017 की अपनी अधिसूचना सं576/3/ई0वी0एम/ईसीआई/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एसडीआर/खण्ड–I/2017 के द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को पहले ही ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में विनिर्दिष्ट किया है जिसमें वर्तमान साधारण निर्वाचनों के लिए किए जाने वाले मतदान में मत, मतदान मशीनों के द्वारा डाला एवं रिकॉर्ड किया जाएगा;

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के उक्त परन्तुक के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा -

(i) उत्तराखण्ड **की 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, अनुलग्नक में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार,** को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिनमें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिए वर्तमान साधारण निर्वाचन में मतों को डालने एवं रिकार्ड किए जाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली प्रत्येक मतदान मशीन में ड्राप बॉक्स के साथ प्रिंटर संलग्न किया जाएगा।

(ii) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा विकसित किए गए डिजाइन के ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर को ऐसे प्रिंटर के रूप में अनुमोदित करता है जिसे उपर्युक्त उल्लिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली उक्त मतदान मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा।

आदेश से,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव

उत्तराखण्ड (ई.सी.आई.एल.)				
क्रम सं.	जिले का नाम	क्रम सं.	विधान सभा की सं. एवं नाम	मतदान स्थल की कुल संख्या
1	देहरादून	1	18-धरमपुर	194
2	हरिद्वार	2	26-बी.एच.ई.एल रानीपुर	177
3	ऊधमसिंह नगर	3	66-रूद्रपुर	182
योग				**553**